

RAJASTHAN STATE JUDICIAL ACADEMY

Jhalamand Circle, Old Pali Road, Jodhpur - 342 013
Phone : 0291-2720107, 2721787 & 2721788 (fax) 2720108
Email : rsjadir-jod-rj@nic.in Website:
rajasthanjudicialacademy.nic.in

क्रमांक:रारान्याअ/स्टोर/2017-18/03

जनवरी 08, 2018

:: सीमित निविदा सूचना ::

राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी, जोधपुर के ऑफिसर्स हॉस्टल, अतिथि गृह एवं अन्य कार्यालय उपयोगार्थ चददर, तकिए की खोलियां, पर्दे, नेपकिन, टॉवल, प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारियों के पेन्ट, शर्ट, साड़ी, कोट, सूट इत्यादि की धुलाई एवं इस्त्री (प्रेस) एवम् ड्राईक्लीन हेतु प्राधिकृत फर्म / संस्थाओं एवं अनुभवी व्यक्तियों से मोहरबंद निविदाए दर अनुबंध (Rate Contract) के आधार पर आमंत्रित की जाती है। निविदा का मूल्य लगभग रूपये 75000.00 है।

निविदा दिनांक 12.01.2018 को दोपहर 02.00 बजे तक कार्यालय में पहुंच जानी चाहिए, जिन्हें उसी दिन 04.00 बजे इच्छुक निविदादाताओं की उपस्थिति में अधोहस्ताक्षकर्ता द्वारा खोली जाएगी।

आवश्यक शर्तें निम्नानुसार हैं:-

1. निविदादाता द्वारा प्रस्तुत दर, सभी प्रकार के कर सम्मिलित कर प्रस्तुत की जानी होगी।
2. निविदादाता को कपड़ों को कार्यालय/अकादमी परिसर या निर्देशित स्थान से ले जाकर पुनः धुलाई पश्चात् उसी स्थान पर उपलब्ध करवाना होगा। जिसके लिए पृथक से कोई राशि देय नहीं होगी।
3. निविदादाता को समय-समय पर आयरन व धुलाई इत्यादि के कार्य हेतु कार्यालय परिसर में निर्धारित स्थान पर अतिआवश्यक कार्य संपादन हेतु (ड्राइक्लीन व आयरन वर्क हेतु) समय समय पर उपस्थित होकर कार्य करना होगा।
4. कार्य की गुणवत्ता संतोषजनक नहीं पाए जाने पर 5 प्रतिशत तक क्षतिपूर्ति लगाई जा सकती है, जिसके लिए अधोहस्ताक्षरकर्ता का निर्णय ही अंतिम व मान्य होगा।



RAJASTHAN STATE JUDICIAL ACADEMY

Jhalamand Circle, Old Pali Road, Jodhpur - 342 013
Phone : 0291-2720107, 2721787 & 2721788 (fax) 2720108

Email : rsjadir-jod-rj@nic.in Website:
rajasthanjudicialacademy.nic.in


5. निविदादाता अनुबन्ध होने के उपरान्त उसे उप-बेचान नहीं करेगा।
ऐसा करते पाए जाने पर फर्म/एजेन्सी का अनुबन्ध समाप्त कर
नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
6. धुलवाई अथवा इस्त्री हेतु उपलब्ध करवाए गए कपड़ों को धुलाई
अथवा इस्त्री करते हुए हानि पहुंचाई जाती है तो, उसकी सम्पूर्ण
लागत निविदादाता से वसूल की जाएगी।
7. कपड़ों की धुलाई पश्चात् यदि कार्यालय को यह प्रतीत होता है
कि कपड़ों की धुलाई उच्च गुणवत्ता वाली नहीं है तो
निविदादाता को पुनः कपड़ों की धुलाई करके दी जानी होगी
जिसके लिए पृथक से कोई राशि देय नहीं होगी।
8. अधोहस्ताक्षकर्ता को निविदा बिना कारण स्वीकृत अथवा
अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकारी होगा। साथ ही
अधोहस्ताक्षरकर्ता न्यूनतम दर की निविदा स्वीकार करने को बाध्य
नहीं होंगे।
9. कार्य के दौरान यदि निविदादाता की सेवाएं असंतोषजनक पाई
जाती हैं तो अधोहस्ताक्षरकर्ता को कभी भी निविदादाता की
सेवाएं समाप्त करने का पूर्ण अधिकारी होगा।
10. निविदादाता को उपलब्ध करवाए गए कपड़ों की धुलाई अथवा
प्रेस के कपड़े 24 घण्टे के भीतर पुनः कार्यालय या प्राप्ति स्थल
पर उपलब्ध करवाने होंगे।
11. निविदादाता कार्यालय से लाने-लेजाने वाले कपड़ों का सम्पूर्ण
विवरण अपने पास उपलब्ध रखेगा, तथा विपत्र के साथ उपलब्ध
करवाएगा।
12. निविदादाता कपड़ों की धुलाई के लिए उच्च किस्म का वाशिंग
पाउडर एवं साबुन का प्रयोग करेगा तथा यह आवश्यक रूप से
ध्यान रखना होगा कि कपड़ों की धुलाई एकदम साफ सुथरी हो
एवं प्रेस से कपड़ा जले नहीं अथवा पीला नहीं पड़े।

ed

RAJASTHAN STATE JUDICIAL ACADEMY

Jhalamand Circle, Old Pali Road, Jodhpur - 342 013
Phone : 0291-2720107, 2721787 & 2721788 (fax) 2720108
Email : rsjadir-jod-rj@nic.in Website:
rajasthanjudicialacademy.nic.in

13. निविदादाता द्वारा जिम्मेदार व्यक्ति के मोबाईल नम्बर कार्यालय में उपलब्ध करवाने होंगे जिस पर कार्य निर्देश, सुझाव अथवा शिकायत की जा सके।
14. निविदा बन्द लिफाफे में देनी होगी। निर्धारित समय के पश्चात् प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा।
15. विभाग द्वारा नियमानुसार सभी करों की कटौती निविदादाता द्वारा प्रस्तुत बिलों में से की जावेगी।
16. स्वीकृतसुदा निविदादाता द्वारा भुगतान हेतु प्रस्तुत बिल पर PAN NO./TIN NO. का उल्लेख आवश्यक रूप से करना होगा।
17. शेष शर्तें सा.वित्तीय एवं लेखा नियमों के प्रावधानों के अनुसार होंगी।



नोडल अधिकारी

क्रमांक:रारान्याअ/स्टोर/2017-18/74 to 77

जनवरी 08, 2018

प्रतिलिपि :

1. नोटिस बोर्ड, राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी, जोधपुर।
2. नोटिस बोर्ड, जिला कलेक्टर, जोधपुर।
3. नोटिस बोर्ड, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
4. मैं.


नोडल अधिकारी

नोटिस बोर्ड पर
चुका किया
जे.ए.बि.
१-१-१८